कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल
(शाखा-भू-प्रबंध)
सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड़ नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल, म0प्र0 - 462003

क्रमांक/ F-1/FP/MP/MIN/23750/2017/ 376 भोपाल, दिनांक 04/06/2026

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:- वनमण्डल उत्तर बालाघाट के परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी (मोहगांव) के वन कक्ष क्रमांक RF-1491 के रकबा 40.468 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से बाक्साइड उत्खनन एवं विभिन्न निर्माण कार्य हेतु मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/23750/2017

संदर्भ- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/8-10/2021-FC दिनांक 09.10.2024

--0--

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 09 बिन्दुओं की जानकारी संबंधितों से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र0	चाही गई जानकारी	प्रेषित जानकारी
i	The component wise/ purpose wise break-up of the forest land as mentioned by the State Govt. has not been found in the approved Mining plan. The State shall ensure that the component wise area proposed for diversion is commensurate with the approved mining plan.	इस बिन्दु की जानकारी आवेदक संस्था द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
ii	Non-site specific activities such as Site services (0.267 ha), dumping (0.416 ha), stacking (0.312 ha) and parking (0.567 ha) involving a total of 1.562 ha area over forest land has been given as per component wise details in the proposal. The justification for not carrying these non-site specific activities over non forest land need submission and state needs to explore to shift such activities to non-forest land.	इस बिन्दु की जानकारी आवेदक संस्था द्वारा घटकवार विवरण प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत जानकारी अनुसार गैर वनभूमि शामिल नहीं होने से आवश्यक गतिविधियां प्रस्तावित वनक्षेत्र में शामिल की गई है।
iii	The Reason/ justification for keeping 1.442 ha non-mineble forest area within the lease needs submission.	इस बिन्दु की जानकारी आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत की है, जिसमें लेख किया है कि यह खदान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रभावशील होने के पूर्व की है। तत्समय खनन किये गये खनिज की निकासी का कार्य वन विभाग द्वारा कूप कटाई के लिये बनाये गये मार्ग से किया जाता रहा है। वर्तमान समय में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू होने के कारण खनिज की निकासी हेतु मार्ग के लिये स्वीकृत क्षेत्र 40.468 हेक्टेयर में से 1.442 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित किया गया है।

iv	It has been mentioned in the component wise details that the instant project requires 0.267 ha forest land for site services purpose. The detail of such services needs submission. The state shall also clarify that how the requirement of electricity and water will be met to run the site services.	इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि स्वीकृत खनन योजना अनुसार टेम्परेरी सर्विस, टेम्परेरी स्टाफ हेतु उपयोग किया जायेगा तथा वाटर मेनेजमेंट टेंकर द्वारा एवं बिजली के लिये सौर ऊर्जा का उपयोग किया जायेगा।
v	The revised tree enumeration details have been submitted however it has not been mentioned whether the method adopted for the same is sample enumeration or the total enumeration has been carried.	इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि पेड़ों की पूर्ण गणना कर ली गई है।
vi	The year wise estimated cost to carry out programme for improvement of forest crop in the CA land has not been provided which needs submission. Also the State Govt. shall certify that the proposed land for CA already bears a vegetation of 0.4 canopy density or more.	इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि प्राप्त गैर वनभूमि हेतु वन संरक्षण संबंधी कार्य के क्रियान्वयन हेतु वर्षवार विवरण संलग्न है।
vii	The Nodal officer, Govt. of Madhya Pradesh has not submitted a certificate that the area proposed for compensatory afforestation is Non-Forest land which needs submission.	इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में लेख है कि आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि राजस्व विभाग के अधीन आने वाली भूमि है। इस भूमि के अभिलेख राजस्व विभाग के पास ही संधारित रहते हैं। अत: इस भूमि की नौईयत (वैधानिक स्वरूप) राजस्व विभाग ही बता सकता है। इस प्रकरण में आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि राजस्व विभाग द्वारा त्रुटिवश राजस्व अभिलेखों में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि को राजस्व वनभूमि होने बावत दर्ज किया गया था, जिसे तत्पश्चात राजस्व अधिकारी द्वारा विधिवत विस्तृत आदेश जारी कर इसे संशोधित कर राजस्व वनभूमि न होकर राजस्व भूमि होना अवगत कराया गया है। अत: क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि को राजस्व अभिलेखों के आधार पर गैर वनभूमि मान्य किया जा सकता है।
viii	The revenue papers of the Non-forest land which were previously uploaded online for Compensatory Afforestation have the type of land mentioned as Zudupi Jungle and Satkata Jungle in remarks column . Now, the State Govt. has submitted revised revenue papers of the land claimed as Non-forest for CA wherein in the remarks column, it has been mentioned that the term **छोटे झाड़ का जंगल, सतकटा जंगल, सतकट्टा झाड़ी, सतकठा जंगल** etc have been eliminated/Deleted vide different orders issued by the Tehsildar, Paraswada Tehsil, Balaghat District of Madhya Pradesh State. The State shall examine and intimate the details of the authority which has allowed the change in classification of the forest land to non-forest land. The state shall also give a reasoned justification as to how the state has changed the classification of the land from forest to non-forest.	इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि निजी भूमि है, जिसके खसरे में त्रुटिवश झुड़पी सतकठा जंगल चड़ा हुआ था। सुधार हेतु आवेदक संस्था द्वारा राजस्व विभाग में नियमानुसार आवेदन किया गया, जिस पर राजस्व विभाग द्वारा जांच आदेश पारित कर छोटे-बड़े झाड़, सतकटा जंगल शब्द खसरे में विलोपित कर झाड़ों की संख्या दर्ज की गई। वर्तमान समय में भूमि का मद पड़त है। इस संबंध में खसरा नकल संलग्न है, जिससे यह स्पष्ट है कि इस भूमि की नौईयत राजस्व भूमि है, न की राजस्व वनभूमि है।

ix	As per DSS analysis it has been reported that the KML file of the Mining lease is found 39.660 ha instead of 40.468 ha as per the proposal. Further, KML file of some of the proposed components like Stacking, Minable Area and Barrier Zone have not been given and the area figures of the KML file are not found matching with the component wise break-up. The State shall therefore submit the correct component wise KML file for the proposed area.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा 40.468 हेक्टेयर रकबे की नवीन KML File ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड की गई है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

04.06.26

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक/ F-1/FP/MP/MIN/23750/2017/ 377 भोपाल, दिनांक 04/06/2026

प्रतिलिपि-

1. वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, उत्तर बालाघाट, मध्यप्रदेश।
3. मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई, प्रॉसपेक्ट चेम्बर्स 317/21, डॉक्टर डी.एम. रोड़, मुम्बई-400001 (महाराष्ट्रा)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04.06.26

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Phone : 9424422820
THE DHARAMSI MORARJI CHEMICAL CO., LTD.
REGD OFFICE : PROSPECT CHAMBERS, 317/21, Dr. D.N. ROAD, BOMBAY - 400 001 INDIA

प्रति,

अपर प्रधान
मुख्य वन संरक्षक
कक्ष भू–प्रबंध,
वन भवन तुलसी नगर
म.प्र. भोपाल

विषय :– वनमण्डल उत्तर बालाघाट के परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी (मोहगॉव) के वन कक्ष आर.एफ.–1491 के रकबा 40.468 हेक्टर वन भूमि में ओपन काष्ट पद्धति से बाक्साईड उत्खनन एवं विभिन्न निर्माण कार्य हेतु धरमसी मोरारजी कम्पनी लिमिटेड मुम्बई का भू–पवर्तन प्रस्ताव में नोडल अधिकारी की टीप बाबत्।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र दिनांक 09.10.2024

महोदय,

संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 9 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई थी जिसमें से बिन्दु क्र. 01, 02, 03, 04, 08 व 09 की जानकारी आवेदक कम्पनी द्वारा तथा बिन्दु क्रमांक 05, 06, 07 की जानकारी वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जानी थी। आवेदक द्वारा अपने ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी आवश्यक दस्तावेजों द्वारा दिनांक 28.01.2026 को वनमण्डलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमण्डल में जमा कर आनलाईन पोर्टल पर दर्ज कर दी गई है। बिन्दु क्रमांक 07 की जानकारी नोडल आफिसर द्वारा उपलब्ध कराई जानी है। अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

धन्यवाद सहित

स्थान :– भोपाल
दिनांक :– 02.03.2026

भवदीय

अखिलेश मालवी
वास्ते–धरमसी मोरारजी केमिकल्स
लिमिटेड मुम्बई महाराष्ट्र

संलग्न :–
01 मैप 1:4000
02 मैप 1:15000
03 मैप SOI 1:50000
04 खसरा कापी ग्राम डोरली, खर्शीटोला
05 तहसलीदार महोदय का निजी कृषि भूमि प्रमाण पत्र ग्राम डोरली, खर्शीटोला

274
5/3/26

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय

वनमण्डलाधिकारी उत्तर (सामान्य) वनमण्डल, बालाघाट म.प्र.

e-mail : dfotnbghat@mp.gov.in Telephone No. : (07632) 247044

क्रमांक/तक.कक्ष /703 बालाघाट, दिनांक 26/02/2026

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कक्ष भू–प्रबंध)
वन भवन, तुलसी नगर
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :– वनमण्डल उत्तर बालाघाट के परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी (मोहगांव) के वन कक्ष RF-1491 के रकबा 40.468 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन काष्ठ पद्धति से बॉक्साईड उत्खनन एवं विभिन्न निर्माण कार्य हेतु धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लि. मुम्बई का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/23750/2017

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/एफ–1/FP/MP/MIN/ 23750/2017/5193 दिनांक 09.10.2024

----000----

निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 09.10.2024 में दर्शित 09 बिन्दुओं की चाही गई अतिरिक्त जानकारी आवेदक विभाग द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव में अपलोड कर दी गई है, जिसकी बिन्दुवार जानकारी टेबुलर फार्म में तैयार कर प्रकरण में ऑनलाईन अपलोड कर संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार,

Rs

(रेशम सिंह धुर्वे)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
उत्तर वनमण्डल (सा.) बालाघाट

पृष्ठां. क्रमांक/तक.कक्ष/ 704 बालाघाट, दिनांक 26/02/2026

प्रतिलिपि :–

1. वनसंरक्षक बालाघाट वनवृत्त, बालाघाट म.प्र. की ओर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/एफ–1/FP/MP/MIN/ 23750/2017/5193 दिनांक 09.10.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

2. मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड मुम्बई प्रॉसपेक्ट चेम्बर्स 317/21 डॉक्टर डी.एम. रोड़ मुम्बई 400001 की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Rs

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर वनमण्डल (सा.) बालाघाट

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

276
9/3/26

D:\Sharad\Letter\CCF.docx 631

Scanned with OKEN Scanr

Subject: Diversion of 40.468 ha forest land in village Phadki (Mohgaon) for Bauxite mining and various construction activities in favour of M/s Dharamji Morarji Chemical Company Limited (Mumbai) in the Balaghat district of Madhya Pradesh State (Online No. FP/MP/MIN/23750/2017)- regarding.

क्र	चाही गई जानकारी	प्रेषित जानकारी
i	The component wise purpose wise break-up of the forest land as mentioned by the State Govt. has not been found in the approved Mining plan. The State shall ensure that the component wise area proposed for diversion is commensurate with the approved mining plan.	आवेदक विभाग द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
ii	Non-site specific activities such as Site services (0.267 ha), dumping (0.416 ha), stacking (0.312 ha. and parking (0.567 ha) involving a total of 1.562 ha area over forest land has been given as per component wise details in the proposal. The justification for not carrying these non-site specific activities over non forest land need submission and state needs to explore to shift such activities to non-forest land.	दर्शित बिन्दु के संबंध में आवेदक विभाग द्वारा घटकवार विवरण संलग्न किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार गैर वनभूमि शामिल नही होने से आवश्यक गतिविधियॉ प्रस्तावित वनक्षेत्र में शॉमिल की गई है।
iii	The Reason / justification for keeping 1.442 ha non-mineable forest area within the lease needs submission.	आवेदक विभाग द्वारा उल्लेखित बिन्दु के संबंध में लेख है कि यह खदान वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभावशील होने से पूर्व की है। तत्समय खनन किये गये खनिज की निकासी का कार्य वन विभाग द्वारा कुप कटाई के लिये बनाये गये मार्ग से किया जाता रहा। वर्तमान समय में वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के कारण खनिज की निकासी हेतु मार्ग के लिये स्वीकृत क्षेत्र 40.468 हेक्टेय में से 1.442 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित किया गया है।
iv	It has. been mentioned in the component wise details that the instant project requires 0.267 ha forest land for site services purpose. The detail of such services needs submission. The slate shall also clarify that how the requirement of electricity and water will be met to run the site services.	दर्शित बिन्दु के संबंध में आवेदक विभाग द्वारा लेख किया गया है कि टेम्परेरी सर्विस, टेम्परेरी स्टाफ हेतु उपयोग किया जायेगा। तथा वाटर मेनेजमेन्ट टेंकर द्वारा एवं बिजली के लिये सौर ऊर्जा का उपयोग किया जावेगा।
v	The revised tree enumeration details have been submitted however it has not been mentioned whether the method adopted for the same is sample enumeration or the total enumeration has been carried.	दर्शित बिन्दु अनुसार प्रस्ताव में दर्शित में पेड़ों की पूरी गणना की गई है।
vi	The year wise estimated cost to carry out programme for improvement of forest crop in the CA and has not been provided which needs submission. Also the State Govt. shall Certify that the proposed land for CA already bears a vegetation of 0.4 canopy density or more.	प्रस्ताव में प्राप्त गैरवनभूमि हेतु वन संरक्षण संबंधी कार्य के क्रियान्वयन हेतु वर्षवार विवरण संलग्न है ।

Scanned with OKEN Scanner

क्र	चाही गई जानकारी	प्रेषित जानकारी
vii	The Nodal officer, Govt. of Madhva Predesh has not submitted a certificate that the area proposed for compensatory afforestation is Non-Forest land which needs submission.	प्रस्ताव में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र, गैरवनभूमि (निजी भूमि) है।
viii	The revenue papers of the Non-forest land which were previously uploaded online for Compensatory Afforestation have the type of land mentioned as Zudupi Jungle and Satkata Jungle in remarks column . Now, the State Govt. has submitted revised revenue papers of the land claimed as Non-torest for CA wherein in the remarks column, it has been mentioned that the term NksVs >kM+ dk taxy] lrdV~Vk taxy] lrděk >kM+h] lrděk taxy etc have been eliminated/ Deleted vide different orders issued by the Tehsildar, Paraswada Tehsil, Balaghat District of Madhya Pradesh State. The State shall examine and intimate the details of the. authority which has allowed the change in classification of the forest land to non-forest land. The state shall also give a reasoned justification as to how the state has changed the classification of the land from forest to non-forest.	दर्शित बिन्दु के संबंध में आवेदक विभाग द्वारा लेख किया गया है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि निजी भूमि है। जिसके खसरे में त्रुटिवश झुडपी सतकट्टा जंगल चढ़ा हुआ था, सुधार हेतु आवेदक द्वारा राजस्व विभाग में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर राजस्व विभाग द्वारा जॉच आदेश पारित कर छोटे बड़े झाड़ सतकट्टा जंगल शब्द खसरे में विलोपित कर झाडों की संख्या दर्ज कर गई। वर्तमान समय में भूमि का मद पड़त है, इस संबंध में खसरा नकल संलग्न है, जिससे यह स्पष्ट है कि इस भूमि की नोईयत राजस्व भूमि है, न की राजस्व वनभूमि है।
xi	As per DSS analysis it has been reported that the KML file of the Mining lease is found 39.660 ha instead of 40.468 ha as per the proposal. Further, KML file of some of the proposed components like Stacking, Minable Area and Barrier Zone have not been given and the area figures of the KML file are not found matching with the component wise break-up. The State shall therefore submit the correct component wise KML file for the proposed area.	दर्शित बिन्दु के संबंध में आवेदक विभाग द्वारा नवीन के.एम.एल. रकबा 40.468 हेक्टेयर, की ऑनलाईन अपलोड की गई है।

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर (सा.) वनमण्डल
बालाघाट

Scanned with OKEN Scanner

Phones : 2048881-2-3
GRAMS DHARMAJAYA
TELEX DMC 011 2646

THE DHARAMSI MORARJI CHEMICAL CO., LTD.

REGD OFFICE : PROSPECT CHAMBERS, 317/21, Dr. D.N.ROAD, BOMBAY - 400 001 INDIA

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी
उत्तर सामान्य वन मण्डल,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- **उत्तर सामान्य वन मण्डल बालाघाट के वन कक्ष क्रमांक 1491 (आर.एफ.) रकबा 40.468 हे. पर मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लि. को स्वीकृति खनिपट्टा खनिज बाक्साईट का आनलाईन प्रस्ताव क्रमांक एफ.पी./एम.आई.एन./23750/2017**

संदर्भ :- **वनमण्डलाधिकारी उत्तर सामान्य वन मण्डल का पत्र क्रमांक/तक कक्ष/3736 दिनांक 22.12.2025**

मान्यवर,

संदर्भित पत्र से चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

(01) स्वीकृत खनन योजना अनुसार जिला रिफरेन्स में (लैण्डयूज प्लान) तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।

(02) कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेकअप खनन योजना अनुसार कर दिया गया है। (प्रति संलग्न है।)

(03) यह खदान वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभावशील होने से पूर्व की है। तत्समय खनन किये गये खनिज की निकासी का कार्य वन विभाग द्वारा कुप कटाई के लिये बनाये गये मार्ग से किया जाता रहा। वर्तमान समय में वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के कारण खनिज की निकासी हेतु मार्ग के लिये स्वीकृत क्षेत्र 40.468 हे. मे से 1.442 हे. क्षेत्र सम्मिलित किया गया है।

(04) स्वीकृत खनन् योजनानुसार टेम्परेरी सर्विस, टेम्परेरी स्टाफ का उपयोग किया

निरंतर -2

Scanned with OKEN Scanner

जायेगा तथा वाटर मेनेजमेन्ट टेन्कर द्वारा साथ ही बिजली के लिये सौर्य ऊर्जा का उपयोग किया जायेगा। यह सभी कार्य अन्य स्थानों पर इसलिये संभव नही है क्योंकि खदान में केवल वन भूमि सम्मिलित है तथा लीज क्षेत्र में किसी प्रकार का राजस्व क्षेत्र सम्मिलित नही है।

(05) जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जानी है।

(06) जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जानी है।

(07) जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जानी है।

(08) क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि निजी भूमि है। जिसके खसरे में त्रुटिवश झुडपी सतकटटा जंगल चढा हुआ था सुधार हेतु आवेदक द्वारा राजस्व विभाग में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर राजस्व विभाग द्वारा जॉच आदेश पारित कर छोटे बडे झाड सतकटटा जंगल शब्द खसरे में विलोपित कर झाडों की संख्या दर्ज की गई। वर्तमान समय में भूमि का मद पडत है इस संबंध में खसरा नकल संलग्न है। जिससे यह स्पस्ट है कि इस भूमि की नोईयत राजस्व भूमि है न की राजस्व वन भूमि है।

(09) नवीन के.एम.एल. स्वीकृत क्षेत्र 40.468 हेक्टेयर की तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गई है।

धन्यवाद सहित

भवदीय

(अखिलेश मालवी)
वास्ते– कार्यकारी अधिकारी
धरमसी मोरारजी केमिकल्स क. लि.
मुम्बई (महाराष्ट्र)

स्थान :– बालाघाट

दिनांक :–..............................

प्रतिलिपि :–

Assistant Inspector General Forests, Goverment of India (MOEFCC)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर म.प्र. भोपाल।

Scanned with OKEN Scanner